324

200

पक्षकारों एवं आदि के हस्ताक्षर

न्यायालय श्रीमान राजस्व मण्डल ग्वालियर (सर्किट कोर्ट रीवा)
जिला रीवा म0प्र0

R. 5430-II/16

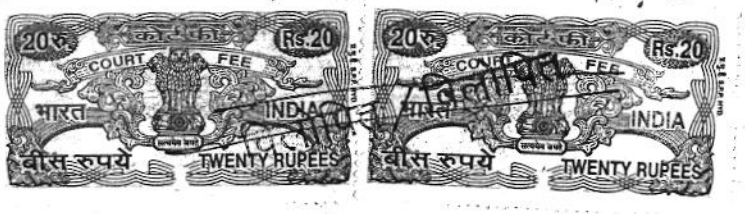

Rs. 40/-

R 5430-II/16

मुस0 वेवा कमला सिंह पति स्व0 विजय शंकर सिंह बरगाही उम्र 35 वर्ष पेशा घरूकार्य निवासी ग्राम रामपुर नैकिन थाना व तह0 रामपुर नैकिन जिला सीधी म0प्र0 —— आवेदिका / निगरानीकर्ता

बनाम

धीरेश कुमार सिंह पिता प्रेमचन्द्र सिंह बरगाही उम्र 58 निवासी ग्राम रामपुर नैकिन थाना व तह0 रामपुर नैकिन जिला सीधी म0प्र0 —— अनावेदक / गैरनिगरानीकर्ता

अधिवक्ता श्री ... सिंह द्वारा पेश / 26-9-16

निगरानी विरूद्व आदेश तहसीलदार साहब तहसील रामपुर नैकिन के प्र0क0 2अ13 / 15—16 दिनांक 20—07—16 निगरानी अन्तर्गत धारा 50 म0प्र0भू0रा0स0 1959 ई0

कलर्क आफ कोर्ट राजस्व मण्डल म0 प्र0 ग्वालियर (सर्किट कोर्ट) रीवा

मान्यवर,

प्रकरण का संक्षिप्त तथ्य :—

1— यह कि आवेदिका ने ग्राम रामपुर की आराजी क0 948 रकवा 0.482 हे0 यानी 1.19 डि0 भूमि 1,52000 रू0 में चन्द्रकली वेवा पतनी प्रेमचन्द्र व धीरेन्द्र कुमार सिंह तनय श्री प्रेमचन्द बरगाही वेवा पत्नी प्रेमचन्द्र व धीरेन्द्र कुमार सिंह तनय श्री प्रेमचन्द्र बरगाही से खरीदा कर काबिज हुये उक्त भूमि से कभी भी कोई रूढिगत रास्ता नहीं था किन्तु विकेता धीरेश कुमार सिंह ने धारा 131 / 132 म0प्र0भू0रा0सं0 1959 के अन्तर्गत अधीनस्थ न्यायालय में आवेदन पत्र दिया जिसमें बिना जांच किये तहसीलदार द्वारा दिनांक 20—07—16 को अन्तरिम आदेश भूमि क0 948 की पूवी सीमा 50 फिट लम्बा एवं 12 फिट चौडे भाग पर अनावेदक को रास्ता के उपयोग करने में कोई बाधा न पहुचाने का सम्बन्ध का आदेश पारित किया जिससे परिवेदित होक यह निगरानी निम्न आधारों पर प्रस्तुत की जा रही है

निगरानी के आधार निम्नलिखित है :—

1— यह कि अधीनस्थ न्यायालय ने विधि एवं प्रकिया के विपरीत निर्णय देने में भूल किया है।

राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ-अ

प्रकरण क्रमांक R.5430-II/16 जिला सीधी

मुसo देवा कमलसिंह विरूद्ध धीरेश कुo सिंह

1	2	3
16-1-19-	1. आवेदक की ओर से श्री त्रिगुणसेन तिवारी अधिवक्ता द्वारा यह ~~नायब~~ तहसीलदार तहसील रामपुर नैकिन के प्रकरण क्रमांक 2/37-13/2015-16 में पारित आदेश दिनांक 20.07.16 के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी है। म0प्र0 भू-राजस्व संहिता में दिनांक 25.09.2018 को हुये संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संधोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अंतर्गत सुनवाई हेतु प्रकरण कलेक्टर सीधी के न्यायालय को अंतरित किया जाता है। उभयपक्ष दिनांक 26.03.19 को कलेक्टर सीधी के न्यायालय में सुनवाई हेतु उपस्थित हो। सदस्य	